मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)

☎ (का.) 0755-2571772, फैक्स : 0755-2556065

ई-मेल : mphousing@gmail.com

(105) (13)

क्रमांक 474 /का.प्र.2/मण्डल/2016 भोपाल, दिनांक 08/11/16

।। आदेश ।।

मण्डल में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के माध्यम से जारी "स्थायी कर्मियों को नियमित करने की योजना" मण्डल में अंगीकृत करने हेतु मण्डल के 236 वें सम्मिलन की बैठक दिनाँक 05.11.2016 की विषय सूची की पदसंख्या छः पर प्रस्ताव रखा गया। सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2016 को मण्डल में लागू करने हेतु संचालक मण्डल द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त संकल्प क्रमांक 49[illegible]–6/236/11/201[illegible] द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(1) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परिपत्र क्रमांक 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.10.2016 को अंगीकृत करते हुए मण्डल में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियो को वेतनमान एवं परिपत्र में उल्लेखित अन्य लाभ प्रदान किये जावें।

(2) मण्डल में भृत्य के रिक्त 93 पदों पर परिपत्र अनुसार स्थायी कर्मी श्रेणीकरण उपरान्त दैनिक वेतन भोगियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए।

(3) अर्जुन फिटनेस क्लब में दैनिक वेतन भोगी नियुक्त एवं तत्पश्चात् दैनिक वेतन दर पर संविदा दर पर अनुबंधित 14 कर्मियों को स्थायी कर्मी के भांति समकक्ष संविदा वेतन का लाभ दिया जाए एवं उनको स्थायी कर्मी में वर्गीकृत करने के लिए प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाए। शेष 04 अनुबंधित कार्मिक जो दैनिक वेतन भोगी को देय दर पर अर्जुन फिटनेस क्लब में कार्यरत है, को स्थायी कर्मी के समकक्ष संविदा वेतन का लाभ प्रदान किया जाए।

(4) शासन के परिपत्र अनुसार मण्डल में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी श्रेणीकरण एवं नियमित सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसा किए जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाए :–

1.	मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अपर आयुक्त–1	सदस्य
3.	मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य विधि सलाहकार	सदस्य
5.	मुख्य संपदा अधिकारी	सदस्य
6.	उपरोक्त के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रथम श्रेणी अधिकारी।	

(5) चयन समिति स्थायी कर्मी श्रेणीकरण पश्चात चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमितीकरण हेतु निम्नानुसार चयन सूची तैयार करेगी :–

(क) चयन हेतु वरीयता का आधार प्रथम नियुक्ति दिनांक अनुसार तैयार वरिष्ठता सूची रहेगी।

(ख) 10वीं उत्तीर्ण स्थायी कर्मी को रिक्त पद पर वरीयता के आधार पर चयन किया जाए।

(ग) यदि कर्मी 12वीं उत्तीर्ण है, तो उसे 10 अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे। 12वीं उत्तीर्ण से अधिक योग्यताधारी को कोई अतिरिक्त वरीयता अंक की पात्रता नहीं होगी। पुरानी पद्धति से 11 वीं कक्षा उत्तीर्ण को नवीन पद्धति से 12 वी (10+2) उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाए।

(घ) सेवाकाल के आधार पर प्रत्येक केलेण्डर वर्ष अथवा उसके भाग के लिए स्थायी कर्मी को 2 अंक दिए जाए।

(च) यदि सेवा में कोई विधवा महिला अथवा पूर्व में अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मी 10 वीं उत्तीर्ण नहीं है तो उसके 8 वीं उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति की पात्रता होगी।

(छ) चयन के लिए वरीयता सूची बनाने हेतु उक्तानुसार मूल्यांकन पश्चात प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाए। प्रथम बार रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति उक्त चयन सूची अनुसार की जाए। आगामी समय में यदि उक्त योजना की समय–सीमा में वृद्धि की जाती है तो उक्त चयन सूची से क्रमानुसर नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए।

(ज) स्थायी कर्मी श्रेणीकरण एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमितीकरण केवल उन्हीं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का किया जाए, जिनका कार्य संतोषजनक हो एवं उनके विरूद्ध कोई आपत्तिजनक स्थिति प्रकाश में नहीं आयी हो।

(झ) स्थायी कर्मी श्रेणीकरण एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमितीकरण के लिये वे दैनिक वेतन भोगी कर्मी अपात्र होगें, जो म.प्र.सिविल सेवायें, (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम–4 के तहत अपात्र हैं।

(ट) जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में सेवा संबंधी प्रकरण दायर किये गये हैं, उन दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को संबंधित न्यायालयीन प्रकरण वापस लिये जाने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाए।

(6) चयन समिति द्वारा नियमित पदों पर चयन हेतु तैयार वरीयता सूची का प्रकाशन उचित माध्यम पर किया जाए तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण चयन समिति द्वारा किया जाए।

(7) उपरोक्त बिन्दु (4) में गठित समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु आयुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

(8) चूंकि मण्डल में तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदनाम वाले दैनिक वेतन भोगी भी हैं, इन्हें भी उनकी सहमति अनुसार चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। यदि भविष्य में मण्डल में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियमितीकरण अथवा सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पदपूर्ति का विकल्प उपलब्ध होता है, तो इन्हें स्थायी कर्मी श्रेणीकरण एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमितीकरण के बावजूद उक्त विकल्प का लाभ लेने की स्वतंत्रता दी जाती है।

(9) शासन के परिपत्र की कण्डिका 1.2 में दैनिक वेतन भोगी/स्थायी कर्मियों की तीन श्रेणी कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल उल्लेखित हैं जबकि श्रमायुक्त मध्यप्रदेश के द्वारा उक्त श्रेणी के अतिरिक्त उच्च कुशल श्रेणी में भी दैनिक वेतन भोगी को वर्गीकृत किया गया है। मण्डल में उच्च कुशल श्रेणी के भी कुछ दैनिक वेतन भोगी कार्यरत हैं। उक्त उच्च कुशल श्रेणी के कर्मियों को भी पात्रतानुसार स्थायी कर्मी कुशल श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

8/11/17

वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के 93 पद रिक्त है । परिपत्र की कण्डिका 2 के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी की चयन प्रक्रिया को 1 वर्ष के लिये स्थगित किया गया है। अतः 6 अक्टूबर 2017 तक उद्भूत चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों की पूर्ति इस योजना के तहत की जाए।

(11) शासन के परिपत्र की कण्डिका– 5 के द्वारा म.प्र.दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम–2013 निरस्त किये गये है। उक्त नियम म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अंगीकृत किये गये थे। उक्त नियमों में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की अधिवार्षिकी आयु PFRDA द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, अवकाश की पात्रता, अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रावधान भी थे, जिनके संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः मण्डल में म.प्र.दैनिक वेतन भोगी (सेवा की शर्तें) नियम–2013 के उक्त प्रावधान यथावत रखा जाए।

(12) उपरोक्त सन्दर्भ में समुचित परिपत्र जारी करने के लिए एवं मण्डल निर्णय के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए आयुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

मण्डल के नाम से तथा आदेशानुसार

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल भोपाल

पृ.क्रमांक./2072 /का.प्र.2/मण्डल/2016 भोपाल,दिनांक 08/11/16

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल
2– निज सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल
3– अपर आयुक्त, (1/2) म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.
4– उपायुक्त, (1/2/3 तक.) म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.
5– वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य संपदा अधिकारी/मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी/मुख्य वास्तुविद/भू–अर्जन अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल
6– उपायुक्त, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल,वृत्त– ....
7– उपायुक्त, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विद्युत वृत्त भोपाल
8– कार्यपालन यंत्री, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग–..........
9– कार्यपालन यंत्री,म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंचना विकास मण्डल, विद्युत संभाग– ....
10– सम्पत्ति अधिकारी, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल,..........
11– शाखा अधिकारी (का.प्र.2/सा. प्र.), म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.
12– प्रभारी अधिकारी (मण्डल सचिवालय)/कम्प्यूटर शाखा/स्टेनो मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, मुख्यालय भोपाल।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल, भोपाल.